



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHA/RO/NAG/UT-495/NH-47/MSEDCL/2025-26/ 841

Date: 17.06.2025

Invitation of Public Comments

18

Sub: Four laning of Nagpur-Saoner-Betul section of NH-69 from km 3.000 to km 59.300 in the state of Maharashtra and from km 137.000 to km 257.400 in the State of Madhya Pradesh on DBFOT(Annuity) basis -**Submission of proposal for permission of crossing 33KV electrical cable line on Betul-Nagpur Road NH-47, Chainage 56.200 LHS Kamath. Multai, Betul (M.P.) -Reg.**

Ref.:

1. PD, PIU Nagpur letter no. 1077 dated 11.06.2025.
2. EE, Water Resource Div. Multai letter no. 2272 dated 27.10.2023.

It is to inform all concern that Water Resources Division, Multai, letter under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PD, PIU, Nagpur has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that Water Resources Division, Multai is as follows:

- 1 no of crossing at km 56.200.

3. As per Para-4 of Ministry's Circular No.RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).

4. In view of the above, the comments / objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016 due to above utility line on the subjected stretch. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments/ objections will be accepted.

The Regional Officer,

Regional Office - Nagpur

National Highways Authority of India,

"Narang Towers", 3rd Floor,

Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),

Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001, Maharashtra

Tel : 0712-2520091 Email : ronagpur@nhai.org

Signature
18/6/25

(निर्मल एम. झाडे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

Copy to:

1. Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi- for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
2. Director, NIC, New Delhi- for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in].

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075

Head Office : G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110 075



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एनएचएआई/आरओ/एनएजी/यूटी-495/एनएच-47/एमएसईडीसीएल/2025-26/ 841

दिनांक: 17.06.2025

18

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: महाराष्ट्र राज्य में एनएच-69 के नागपुर - साओनेर - बैतूल खंड को किमी 3.000 से किमी 59.300 तक और मध्य प्रदेश राज्य में किमी 137.000 से किमी 257.400 तक डीबीएफओटी (वार्षिक) आधार पर चार लेन का बनाना - बैतूल-नागपुर रोड एनएच-47, चेनेज 56.200 एलएचएस कामथ पर 33 केवी विद्युत केबल लाइन क्रॉसिंग की अनुमति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना। मुलताई, बैतूल (एमपी) -रेग।

संदर्भ:

1. पीडी, पीआईयू नागपुर पत्र क्रमांक 1077 दिनांक 11.06.2025।
2. ईई, जल संसाधन प्रभाग। मुलताई पत्र क्र. 2272 दिनांक 27.10.2023.

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि जल संसाधन संभाग, मुलताई ने संदर्भ (2) के तहत पत्र द्वारा विषयगत कार्य के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीडी, पीआईयू, नागपुर ने संदर्भ (1) के तहत पत्र द्वारा सक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए उपरोक्त प्रस्ताव की अनुशंसा की है।

2. जल संसाधन प्रभाग, मुलताई द्वारा प्रस्तावित संरेखण निम्नानुसार है:

- किमी 56.200 पर 1 क्रॉसिंग।

3. मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एसएंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन को दावे और आपत्तियां (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।

4. उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में, संबंधित खंड पर उपरोक्त उपयोगिता लाइन के कारण प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ सार्वजनिक टिप्पणियाँ जारी करने से 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं, नियत तिथि के बाद कोई भी टिप्पणी/आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर्स", तीसरी मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र

दूरभाष : 0712-2520091 ईमेल : ronagpur@nhai.org

मंसूर
18/6/25

(निर्मल एम झाडे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

1. वेब प्रशासन, एनएचएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [web-admin@nhai.org]
2. निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट [mansoor@nic.in] पर अपलोड करने हेतु।

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075

Head Office : G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110 075